रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-16022023-243669
CG-DL-E-16022023-243669

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 86] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, फरवरी 16, 2023/माघ 27, 1944
No. 86] NEW DELHI, THURSDAY, FEBRUARY 16, 2023/MAGHA 27, 1944

वस्त्र मंत्रालय

[विकास आयुक्त (हस्तशिल्प) कार्यालय]

अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 जनवरी, 2023

सा.का.नि. 104(अ).—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और वस्त्र मंत्रालय, विकास आयुक्त (हस्तशिल्प) कार्यालय, राष्ट्रीय हस्तशिल्प एवं हथकरघा संग्रहालय में, बहुकार्य कर्मचारीवृंद (समूह 'ग' पद) भर्ती नियम, 2016, के इन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, वस्त्र मंत्रालय, विकास आयुक्त (हस्तशिल्प) के कार्यालय में, राष्ट्रीय हस्तशिल्प एवं हथकरघा संग्रहालय में बहुकार्य कर्मचारीवृंद समूह 'ग' पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :–

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभः**–

(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम वस्त्र मंत्रालय, विकास आयुक्त (हस्तशिल्प) कार्यालय, राष्ट्रीय हस्तशिल्प एवं हथकरघा संग्रहालय, बहुकार्य कर्मचारीवृंद समूह 'ग' पद भर्ती नियम, 2023 है ।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. **पद–संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर** –पद की संख्या, उसका वर्गीकरण, और वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं ।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु–सीमा, अर्हताएं, आदि** – भर्ती की पद्धति, आयु–सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त/पूर्वोक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **निरर्हता** – वह व्यक्ति –

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित हैं, विवाह किया है; या विवाह की संविदा की हैय या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है; या विवाह की संविदा की है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह उस व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. **शिथिल करने की शक्ति**–जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी ।

6. **व्यवृति**–इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु–सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केंद्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय–समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है ।

अनुसूची

पद का नाम	पदों को संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन पद है अथवा अचयन पद ।	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु–सीमा ।	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं।
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
बहुकार्य कर्मचारीवृंद	*21 (2023) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केंद्रीय सेवा समूह 'ग', अराजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स (18,000 रु. - 56,900 रु.) में स्तर–1	लागू नहीं होता	18 से 27 वर्ष के बीच। **टिप्पण** : आयु–सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू–कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चंबा जिले के पांगी उपखंड, अंडमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के उम्मीदवारों के अभ्यर्थियों लिए विहित की गई है।)	**आवश्यक:** (i) किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से मैट्रीकुलेशन या समतुल्य उत्तीर्ण हो । **टिप्पण 1**: अन्यथा, सुअर्हित अभ्यर्थियों के मामले में कर्मचारी चयन आयोग या सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार अहर्ताएं शिथिल की जा सकती हैं। **टिप्पण 2**: अनुभव संबंधी अर्हता कर्मचारी चयन आयोग या सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती है जब चयन के किसी प्रक्रम पर सक्षम प्राधिकारी या कर्मचारी चयन आयोग की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को

						भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी ।	**परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो**	**भर्ती की पद्धतिः भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता ।**	**प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियाँ जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया किया जाएगा ।**
(8)	(9)	(10)	(11)
लागू नहीं होता।	दो वर्ष।	सीधी भर्ती द्वारा।	लागू नहीं होता ।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना ।	**भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा ।**
(12)	(13)
विभागीय प्रोन्नति समिति (पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे :– (i) वरिष्ठ निदेशक (संग्रहालय) – अध्यक्ष (ii) निदेशक (हस्तशिल्प) – सदस्य (iii) मुख्यालय से सहायक निदेशक या संग्रहालय से प्रशासनिक अधिकारी – सदस्य	लागू नहीं होता ।

[फा. सं. 02/35/2022–एनसीएम और एचकेए]

शुभ्रा, विकास आयुक्त (हस्तशिल्प)

MINISTRY OF TEXTILES

(Office of the Development Commissioner (Handicrafts)]

NOTIFICATION

New Delhi, the 19th January, 2023

G.S.R. 104(E).—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Ministry of Textiles, Office of the Development Commissioner (Handicrafts), National Handicrafts and Handlooms Museum, Multi-tasking Staff (Group 'C' posts) Recruitment Rules, 2016, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment for the posts of Multi-Tasking Staff, Group ‘C’ posts in the Ministry of Textiles, Office of the Development Commissioner (Handicrafts), National Handicrafts and Handlooms Museum namely :-

1. Short title and commencement. - (1) These rules may be called the Ministry of Textiles, Office of the Development Commissioner (Handicrafts), National Handicrafts and Handlooms Museum, Multi-Tasking Staff, Group ‘C’ posts, Recruitment Rules, 2023.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of posts, classification, level in the pay matrix or pay scale **-** The number of the said post, its classification, level in the pay matrix attached thereto, shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc. - The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. Disqualification. **–** No person, -

(i) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or

(ii) who having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the posts:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personnel law applicable to such persons and the other party to the marriage and there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Power to relax. -** Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. **Saving. -** Nothing in these rules shall affect the reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Classes, the Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	No. of posts	Classification	Level in the Pay Matrix	Whether selection post or non-selection post	Age limit for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Multi Tasking Staff.	21 (2023)* *Subject to variation dependent on work load.	General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted, Non-Ministerial.	Level-1 in the Pay Matrix (Rs.18,000 – 56,900/-)	Not applicable.	Between 18 and 27 years of age. **Note.-** The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from the candidates in India (and not the closing date prescribed for those residing in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, union territories of Ladakh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep).	Essential: Matriculation or equivalent pass from a recognised Board. **Note 1.-** The qualification is relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission in the case of candidates otherwise well qualified. **Note 2.-** The qualification regarding experience are relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes or Scheduled Tribes if at any stage of selection, the Staff Selection Commission is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancy reserved for them.

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any.	Method of recruitment : whether by direct recruitment or by promotion or by deputation / absorption and percentage of vacancies to be filled by various methods.
(8)	(9)	(10)
Not applicable.	Two years.	By direct recruitment.

If a Departmental promotion committee exists, what is its composition?	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment.
(12)	(13)
Departmental Promotion Committee (for considering confirmation) consisting of:- (i) Senior Director (Museum) - Chairman; (ii) Director(Handicrafts) – Member; (iii) Assistant Director from Headquarter or Administrative Officer from Museum – Member.	Not applicable.

[F. No. 02/35/2022-NCM&HKA]

SHUBHRA, Development Commissioner (Handicrafts)

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. SARVESH KUMAR SRIVASTAVA